

## Outcome Budget आउटकम बजट

<b>Department विभाग</b>	महिला कल्याण	<b>Financial Year वित्तीय वर्ष</b>	<b>2025-2026</b>
-------------------------	--------------	------------------------------------	------------------

S.N.	Scheme Type	No of Schemes	Revenue Budget (INR Lakh)	Capital Budget (INR Lakh)
1	Centrally Sponsored Schemes-CSS	13	4,727.07	0.08
2	Central Sector Schemes - CS	2	941.92	0.00
3	State Sector Schemes	18	3,881.90	750.01
	<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>9,550.89</b>	<b>750.09</b>

### Scheme योजना

मिशन वात्सल्य योजना (बाल संरक्षण सेवायें तथा बाल कल्याण सेवाय) 90 प्रतिशत

### Scheme Type

Centrally Sponsored Schemes-CSS

### योजना का उद्देश्य

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/ किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/ संस्थाओं का संचालन

### Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)

Revenue

2500.01

Capital

0

Output	Outcome
निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल संचालन किया जायेगा।	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के बालकों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है।

<b>Scheme योजना</b>	मिशन वात्सल्य योजना (बाल संरक्षण सेवायें तथा बाल कल्याण सेवायें) 10 प्रतिशत	<b>Scheme Type</b>	Centrally Sponsored Schemes-CSS
योजना का उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित मिशन वात्सलय योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष तक के किशोर/ किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यालय/ संस्थाओं का संचालन		

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**                      Revenue                      275.01                      Capital                      0

Output	Outcome
निदेशालय महिला कल्याण व समस्त 13 जनपदों के स्तर पर बाल संरक्षण योजना का सफल संचालन किया जायेगा।	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड के बालकों की सामाजिक/आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है।

<b>Scheme योजना</b>	गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप/ फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर 10 प्रतिशत	<b>Scheme Type</b>	Centrally Sponsored Schemes-CSS
योजना का उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप/फॉस्टर केयर/ऑफ्टर केयर के अन्तर्गत।		

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**                      Revenue                      240.01                      Capital                      0

Output	Outcome
योजना से आच्छादित बालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है। शिक्षा सुचारू रूप से चल पा रही है।	योजना से आच्छादित बालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सकारात्मक सुधार हुआ है।

**Scheme योजना** गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप / फॉस्टर केयर / ऑफ्टर केयर 90 प्रतिशत **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

**योजना का उद्देश्य** भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित गैर संस्थागत देखभाल-स्पॉन्सरशिप / फॉस्टर केयर / ऑफ्टर केयर के अन्तर्गत

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 1660.01 Capital 0

Output	Outcome
योजना से आच्छादित बालको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कें सकारात्मक सुधार हुआ है। शिक्षा सुचारू रूप से चल पा रही है।	योजना से आच्छादित बालको की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति कें सकारात्मक सुधार हुआ है।

**Scheme योजना** स्वच्छता एक्सन प्लान 90 प्रतिशत **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

**योजना का उद्देश्य** भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित स्वच्छता एक्सन प्लान के अन्तर्गत संस्थाओ में अनाथ एवं निराश्रित बालको हेतु संचालित विभागीय संस्थाओं में साफ-सफाई, पेंटिंग, बाग बगीचा लगाना आदि।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 46.81 Capital 0

Output	Outcome
उक्त योजा से समस्त संस्थाओं की साफ-सफाई एवं बाल मैत्री वातावरण तैयार कर स्वास्थ्य वातावरण तैयार किया गया।	संस्थाओ में निवासरत बालको के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में सकारात्मक सुधार हुआ है। साफ सफाई व प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना।

**Scheme योजना** स्वच्छता एक्सन प्लान (10 प्रतिशत) **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

**योजना का उद्देश्य** भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित स्वच्छता एक्सन प्लान के अन्तर्गत संस्थाओ में अनाथ एवं निराश्रित बालको हेतु संचालित विभागीय संस्थाओं में

साफ-सफाई, पेंटिंग, बाग बगीचा लगाना आदि।

Proposed for 2025-2026 (INR Lakh) Revenue 5.21 Capital 0

Output	Outcome
उक्त योजना से समस्त संस्थाओं की साफ-सफाई एवं बाल मैत्री वातावरण तैयार कर स्वास्थ्य वातावरण तैयार किया गया।	संस्थाओं में निवासरत बालको के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास में सकारात्मक सुधार हुआ है। साफ सफाई व प्रकृति के प्रति रुचि पैदा करना

**Scheme योजना** शक्ति सदन (90 प्रतिशत) **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

**योजना का उद्देश्य** भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित उज्ज्वला एवं स्वधार गृह में निवासरत महिलाओं हेतु तात्कालिक सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनुदान दिया जाना

Proposed for 2025-2026 (INR Lakh) Revenue 0.01 Capital 0

Output	Outcome
—	—

**Scheme योजना** मिशन वात्सल्य योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

(बाल संरक्षण सेवाओं हेतु संस्थाओं का निर्माण) (90 प्रतिशत)

**योजना का उद्देश्य** भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण

<b>Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)</b>	<b>Revenue</b>	<b>0</b>	<b>Capital</b>	<b>0.02</b>
--	----------------	----------	----------------	-------------

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

<b>Scheme योजना</b>	मिशन वात्सल्य योजना हेतु संस्थाओं का निर्माण (बाल संरक्षण सेवाओं हेतु संस्थाओं का निर्माण) (10 प्रतिशत)	<b>Scheme Type</b>	Centrally Sponsored Schemes-CSS
---------------------	---	--------------------	---------------------------------

योजना का उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत 0 से 18 आयु वर्ग के जरूरतमन्द एवं आवश्यकता वाले किशोर/किशोरियों की देख-रेख एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु संस्थाओं का निर्माण
-------------------	---

<b>Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)</b>	<b>Revenue</b>	<b>0</b>	<b>Capital</b>	<b>0.02</b>
--	----------------	----------	----------------	-------------

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
बाल देखरेख संस्थाओं का निर्माण	संस्थानिक बाल देखरेख के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

<b>Scheme योजना</b>	बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण (90 प्रतिशत)	<b>Scheme Type</b>	Centrally Sponsored Schemes-CSS
---------------------	--	--------------------	---------------------------------

योजना का उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालयों का निर्माण कराया जाना
-------------------	--

<b>Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)</b>	<b>Revenue</b>	<b>0</b>	<b>Capital</b>	<b>0.02</b>
--	----------------	----------	----------------	-------------

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
---------------	----------------

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण	बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालय से राज्य की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना** बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण (10 प्रतिशत) **Scheme Type** Centrally Sponsored Schemes-CSS

योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालयों का निर्माण कराया जाना

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 0 Capital 0.02

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के निर्माण	बाल देखरेख गृह, किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के कार्यालय से राज्य की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना** चाइल्ड हेल्पलाईन (100 प्रतिशत) **Scheme Type** Central Sector Schemes - CS

योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित चाइल्ड हेल्पलाईन जो जरूरतमंद बच्चों देख-भाल एवं सुरक्षा के लिए 24 घण्टे मुफ्त आपातकालीन फोन और आउटरिच सेवा प्रदान करना

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 876.91 Capital 0

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
---------------	----------------

Output	Outcome
गुमशुदा एवं सामाजिक उत्पीडन से ग्रसित बालको को तात्कालिक सेवाए प्रदान किया जाना	बच्चो का तात्कालिक सेवा प्रदान कर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना।

**Scheme योजना** मिशन वात्सल्य योजना (पोक्सो पीडिता) 100 प्रतिशत **Scheme Type** Central Sector Schemes - CS

**योजना का उद्देश्य** मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत संचालित 100 प्रतिशत केन्द्रांश स्कीम फॉर केयर एण्ड स्पोट टू विक्टिम, पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 एवं धारा 6 के तहत गर्भवती बालिकाओ को सहायता

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 65.01 Capital 0

Output	Outcome
सामाजिक उत्पीडन से ग्रसित बालको को तात्कालिक सेवाए प्रदान किया जाना	बालको को तात्कालिक सेवाए प्रदान किया जाना

**Scheme योजना** किशोर न्याय निधि की स्थापना **Scheme Type** State Sector Schemes

**योजना का उद्देश्य** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 105 के अन्तर्गत जरूरतमन्द किशोर/किशोरियो के पुनर्वासन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 0.01 Capital 0

Output	Outcome
उत्तराखण्ड राज्य में किशोर न्याय निधि का सफल संचालन	बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना**

मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना

**Scheme Type**

State Sector Schemes

**योजना का उद्देश्य**

राज्य में 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2022 की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/पिता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के बच्चों को माह जुलाई, 2021 से रू 3000/ प्रतिमाह की दर से लाभान्वित किये जाने हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**

Revenue

1888.56

Capital

0

Output	Outcome
राज्य में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता/ पिता/ संरक्षक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बालकों की शिक्षा एवं जीवन यापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है और बालकों का समुचित विकास सम्भव हो पाया है।	उत्तराखण्ड राज्य में योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे। बच्चे का अच्छी प्रकार से भरण-पोषण हो पा रहा है, साथ ही शिक्षा पूर्ण कर पा रहे हैं।

**Scheme योजना**

मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन

**Scheme Type**

State Sector Schemes

**योजना का उद्देश्य**

मानसिक रूप से विकसित महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन करते हुए उन्हें आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, प्रशिक्षण मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**

Revenue

234.3

Capital

0

Output	Outcome
महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र का सफल संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना**

विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अर्न्तवासियों का पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए राज

**Scheme Type**

State Sector Schemes



सहायता

योजना का उद्देश्य राजकीय महिला गृहो से मुक्त होने पर महिला को पुनर्वासन हेतु कौशल्या डबराल संवासिनी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल रु 21000/- प्रदान किये जाते हैं।

Proposed for 2025-2026 (INR Lakh) Revenue 2 Capital 0

Output	Outcome
महिला गृहो से मुक्त होने पर 10 महिलाओ को पुनर्वासन किया जायेगा	महिला संरक्षण व आजीविका के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी।

**Scheme योजना** महिलाओ को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति/छात्रवेतन **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य वर्तमान में लागू नहीं है।

Proposed for 2025-2026 (INR Lakh) Revenue 0.01 Capital 0

Output	Outcome
—	—

**Scheme योजना** महिला कल्याण निदेशालय **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित महिलाओ/किशोरो की याजनाओ की राज्य में निदेशालय स्तर से समीक्षा/मार्ग दर्शन

Proposed for 2025-2026 (INR Lakh) Revenue 199.35 Capital 0

Output	Outcome
महिला कल्याण निदेशालय के माध्यम से महिला व बाल संरक्षण की विभागीय योजनाओं का सफल संचालन।	महिला व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी

**Scheme योजना** स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (एस.एस) **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु सेवाएँ प्रदान किये जाने हेतु स्वैच्छिक संगठन एस.ओ.एस. को सहायता प्रदान किया जाना

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 50 Capital 0

Output	Outcome
जरूरतमंद बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु सेवाएँ प्रदान किये	संरक्षण के क्षेत्र में जरूरतमंद बच्चों की स्थिति बेहतर बनेगी

**Scheme योजना** मानसिक रूप से विकसित व्यक्तियों एवं महिलाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वासन केन्द्र (मानसिक) देहरादून में निवासरत मानसिक रूप से विकसित संवासिनियों की समुचित देखरेख हेतु स्वैच्छिक संस्था को सहायता

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 10 Capital 0

Output	Outcome
महिला कल्याण व पुनर्वासन केन्द्र का संचालन	महिला संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर बनेगी

**Scheme योजना**

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अधीन  
उद्धार संगठन

**Scheme Type**

State Sector Schemes

## योजना का उद्देश्य

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत महिलाओं के पुनर्वासन हेतु मण्डल स्तर पर कार्यालयों की स्थापना

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**

Revenue

0.01

Capital

0

Output	Outcome
महिला संरक्षण हेतु दो अधिष्ठानों का सफल संचालन किया जायेगा	महिला के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना**

परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

**Scheme Type**

State Sector Schemes

## योजना का उद्देश्य

महिला कल्याण के अन्तर्गत महिलाओं/किशोरों हेतु संचालित संस्थाओं/ कार्यालयों व किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति /अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम/किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर समीक्षा/मार्ग दर्शन

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**

Revenue

423.98

Capital

0

Output	Outcome
राज्य के समस्त 13 जनपदों में विभागीय कार्यालयों का सफल संचालन किया जायेगा	महिल व बाल संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना**

बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना

**Scheme Type**

State Sector Schemes

## योजना का उद्देश्य

विधि विवादित किशोर/किशोरियों हेतु कोर्ट बोर्ड की स्थापना के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार प्रकरणों का निस्तारण

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**      Revenue      52.26      Capital      0

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
राज्य के 07 जनपदों में बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड के कार्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है	विधि विरुद्ध श्रेणी के बच्चों व उनके परवादों को त्वरित न्याय मिलेगा

**Scheme योजना**      संस्थाओं/गृहों का संचालन      **Scheme Type**      State Sector Schemes

**योजना का उद्देश्य**      18 वर्ष के जरूरतमन्द किशोर/ किशोरियों तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं हेतु गृहों का संचालन करते हुए संवासियों को आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**      Revenue      1021.41      Capital      0

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
राज्य के 07 जनपदों में बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड के कार्यालयों का सफल संचालन किया जा रहा है।	महिला बाल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना**      स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन      **Scheme Type**      State Sector Schemes

**योजना का उद्देश्य**      वर्तमान में लागू नहीं है। कूड़ा बीनने वाले/भिक्षा वृत्ति में लगे किशोरों हेतु आवास, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं फिलहाल बाल संरक्षण सेवाएं योजना में ओपन शेल्टर के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**      Revenue      0.01      Capital      0

<b>Output</b>	<b>Outcome</b>
---------------	----------------

Output	Outcome
–	–

**Scheme योजना**      स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण      **Scheme Type**      State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य      योजना लागू नहीं है।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**      Revenue      0      Capital      0.01

Output	Outcome
.	.

**Scheme योजना**      10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के किशोरो हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण      **Scheme Type**      State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य      किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत अनाथ एवं निराश्रित बच्चो हेतु गृहो का निर्माण कराया जाता है।

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)**      Revenue      0      Capital      200

Output	Outcome
उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी	बच्चो के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना** किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेशरत किशोर/किशोरियो हेतु आवासीय गृहो का निर्माण

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 0 Capital 50

Output	Outcome
उत्तराखण्ड की समस्त राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में समुचित आवासीय सुविधायें उपलब्ध होगी	बच्चो के संस्थागत संरक्षण के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की स्थिति बेहतर होगी

**Scheme योजना** 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण **Scheme Type** State Sector Schemes

योजना का उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की बालिकाओ हेतु उत्तर रक्षा गृहो का आवासीय निर्माण

**Proposed for 2025-2026 (INR Lakh)** Revenue 0 Capital 500

Output	Outcome
जनपद नैनीताल में महिला कल्याण एवं पुनर्वास केन्द्र तथा बाल गृह का निर्माण	संस्था में निवासरत बच्चो हेतु